न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2012/00075 दायरा दिनांक : 16.08.2012

उनवान

मदनलाल आत्मज गंगोलिया जी, जाति लोधा, निवासी हरनावदाशाहजी मजरा सालरखोह, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– नन्दा । पिसरान गंगोलिया जी, जाति लोधा, निवासी हरनावदाशाहजी
2– बापूलाल उर्फ बाबूलाल । मजरा सालरखोह, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
3– मूलचन्द आत्मज बंशीलाल, जाति लोधा, निवासी अमृतखेड़ी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
4– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2012/00074 दायरा दिनांक : 16.08.2012

उनवान

मदनलाल आत्मज गंगोलिया जी, जाति लोधा, निवासी हरनावदाशाहजी मजरा सालरखोह, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– नन्दा । पिसरान गंगोलिया जी, जाति लोधा, निवासी हरनावदाशाहजी
2– बापूलाल उर्फ बाबूलाल । मजरा सालरखोह, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
3– मूलचन्द आत्मज बंशीलाल, जाति लोधा, निवासी अमृतखेड़ी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
4– श्रीमती अनारबाई पत्नी रामदयाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम दीगोद, तहसील छीपाबडोद, बारां
5– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 25.10.2023

1 ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2 ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 69/2009 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.07.2011, संशोधित डिक्री दिनांक 09.02.2012 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 03.05.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

3 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 403 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा चाही 2 लगानी 6.31 रूपये वाके माल हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां में स्थित है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 446 संवत 2059 ता 2062 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा बारानी तृतीय लगानी 3.25 रूपये वाके हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां में स्थित है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 442 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 116/2 रकबा 8 बीघा बारानी तृतीय लगानी 4.50 रूपये, आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 01 बीघा लगानी 5 रूपया, आराजी खसरा नम्बर 405 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा लगानी 1.12 रूपये मौजा हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां में स्थित है, जो मुताबिक जमाबंदी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

4 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद ने अपने निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.07.2011 से ग्राम हरनावदा शाहजी आराजी खसरा नम्बर 403 रकबा 1.19 में मदन का

हिस्सा 1/6, नन्दा हिस्सा 1/6, बापू हिस्सा 1/6 एवं खसरा नम्बर 522 रकबा 5.15 में मदन का हिस्सा 2/9, नन्दा हिस्सा 2/9, बापू हिस्सा 2/9, मूलचन्द हिस्सा 1/3 एवं खसरा नम्बर 116/2 रकबा 8.00, 361 रकबा 1.00, 405 रकबा 2.04 कुल किता 3 रकबा 11.04 बीघा में मदन का हिस्सा 1/3, नन्दा हिस्सा 1/3, बापू हिस्सा 1/3, मुताबिक राजस्व रेकार्ड दर्ज हिस्से सहखातेदारान की आपसी सहमति से मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धांत अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया गया कि बाद विभाजन प्रस्ताव प्रकरण दिनांक 29.08.2011 को पेश हो। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होवे।

5 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद ने अपने निर्णय दिनांक 18.07.2011 व संशोधित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.02.2012 से ग्राम हरनावदा शाहजी आराजी खसरा नम्बर 403 रकबा 1.19 में मदन का हिस्सा 1/3, नन्दा हिस्सा 1/3, बापू हिस्सा 1/3 एवं खसरा नम्बर 116/2 रकबा 8.00, 361 रकबा 1.00, 405 रकबा 2.04 कुल किता 3 रकबा 11.04 बीघा में मदन का हिस्सा 1/3, नन्दा हिस्सा 1/3, बापू हिस्सा 1/3, एवं खसरा नम्बर 522 रकबा 5.15 में मदन का हिस्सा 2/9, नन्दा हिस्सा 2/9, बापू हिस्सा 2/9, मूलचन्दं हिस्सा 1/3 एवं मुताबिक राजस्व रेकार्ड दर्ज हिस्से सहखातेदारान की आपसी सहमति से मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धांत अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया गया। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होवे।

6 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद ने अपने निर्णय दिनांक 18.07.2011 व अंतिम डिक्री दिनांक 03.05.2012 पारित की कि प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसील छीपाबडौद के पत्रांक/राजस्व/342 दिनांक 19.04.2012 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम हरनावदा शाहजी की निम्न आराजी बाबत नियमानुसार अंतिम डिक्री जारी की।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	मदन पुत्र गगोलिया कोम लोधा साकिन मजरा सालरखोह	116/2 मध्य	2.13	बारानी तृतीय	1.49
		361 पूर्व	0.07	चाही अलीफ चा. नं. 354	1.75
		403 पूर्व	0.13	चाही 2 चा. नं. 402	2.11
		405 पूर्व	0.15	बजंड अव्वल	0.37
		522 पश्चिम	1.05	बारानी तृतीय	0.70
		योग किता 5	**5.13**	—	**6.42**
2	नन्दा पुत्र गगोलिया लोधा, साकिन मजरा सालर खोह रहन SBBJ शाखा हरनावदा शाह खसरा नम्बर 116/2, 361, 405, 522	116/2उत्तर	2.14	बारानी तृतीय	1.50
		361 पश्चिम	0.06	चाही अलीफ चा. नं. 354	1.50
		403 मध्य	0.13	चाही 2 चा. नं. 402	2.12
		405 पश्चिम	0.14	बजंड अव्वल	0.36
		522 पूर्व	1.06	बारानी तृतीय	0.73
		योग किता 5	**5.13**	—	**6.21**

जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

7 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 2012/00075 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रारम्भिक डिक्री फरमाकर ग्राम हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडौद की आराजी खसरा नम्बर 403 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 522 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 116/2 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 361 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 405 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा का आपसी सहमति से सहखातेदारान का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुरूप मौके व कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के सिद्धांत के अनुसार खसरा नम्बर 403 की भूमि में से मदन वादी अपीलांट का 1/6 हिस्सा, नन्द का 1/6 हिस्सा, बापू का 1/6 हिस्सा, खसरा नम्बर 522 की भूमि में मदन वादी अपीलांट का 2/9 हिस्सा, नन्दा का 2/9 हिस्सा, बापू का 2/9 हिस्सा तथा मूलचन्द का 1/9 हिस्सा, खसरा नम्बर 116/2, खसरा नम्बर 361, खसरा नम्बर 405 जुमला 3 किता की 11 बीघा 4 बिस्वा में मदन का 1/3 हिस्सा, नन्दा का 1/3 हिस्सा, बापू का 1/3 हिस्सा अनुसार विभाजन आराजी का निर्णय एवं डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है।

8 अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट एवं वादी अपीलांट के अभिभाषक श्री आर.पी. गोयल एडवोकेट द्वारा आपसी सहमति से निर्णय कराने बाबत न तो कोई सहमति दी गई थी और न ही इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में कोई लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। पक्षकारान के

मध्य न तो कोई राजीनामा हुआ था और न ही कोई राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति भी नहीं हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की आपसी सहमति गलत रूप से अंकित कर सर्वथा गैरकानूनी रूप से मनमाने तौर पर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आपसी सहमति बाबत कोई प्रमाण भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में वर्णित उक्त कथन पूर्णतया त्रुटिपूर्ण, आधारहीन है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष खिलाफ कानून है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री सर्वथा गैर कानूनी होने से निरस्त होने योग्य है।

9 अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी अपीलांट ने पक्षकारान, सहखातेदारान के मध्य मिति वैशाख शुदी तीज सम्वत 2038 को बाहमी विभाजन होना जाहिर किया है जिसका विस्तृत उल्लेख वाद पत्र की चरण नं. 5 में किया गया है। मुताबिक बाहमी बंटवारा वादी अपीलांट मदनलाल को खसरा नम्बर 116/2 रकबा 8 बीघा में से उत्तर दिशा की 4 बीघा भूमि (कुल भूमि का 1/2 हिस्सा) प्राप्त हुआ था तथा खसरा नम्बर 522 की 5 बीघा 15 बिस्वा में से 2/3 हिस्सा भूमि जो अकलेरा हरनावदा शाहजी जाने वाली सड़क से लगी हुई है, प्राप्त हुई थी। अतः वादी अपीलांट उक्त भूमि मुताबिक बाहमी बंटवरा प्राप्त करने का अधिकारी है। शामलाती खाते की शेष भूमि दीगर सहकृषकों प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट्स को प्राप्त हुई थी। वक्त बाहमी बंटवारा वादी अपीलांट उसे विभाजन में प्राप्त हुई भूमि पर तन्हा रूप से निरन्तर काबिज चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज है। दीगर सहकृषक भी उन्हें बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वक्त विभाजन से तन्हा रूप से काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट्स द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर उक्त तथ्य से इंकार किया गया था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे में तनकीयात भी कायम की जाकर आगामी पेशी वास्ते शहादत वादी नियत की गई।

10 उपरोक्त परिस्थितियों में वादी अपीलांट एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के मध्य आपसी सहमति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान के मध्य पूर्व में हुए बाहमी विभाजन को मान्यता प्रदान कर तदनुसार अंतिम निर्णय एवं डिक्री सादिर फरमाना चाहिए था।

11 अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम होने के उपरान्त भी जब तक पक्षकारान लिखित में आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र अथवा न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में राजीनामा आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सही होना स्वीकार कर न्यायालय में तस्दीक करवा ले तब तक आपसी सहमति अथवा राजीनामा के आधार पर कानूनन निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय को शहादत फरीकेन लेकर वाद समाअत बहस दावे का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार निर्णय करना चाहिए था। न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं फरमाया कि आपसी सहमति के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित करने के लिए पक्षकारान द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना एवं आदेशिका पर पक्षकारान के अंगूठा निशानी एवं हस्ताक्षर बाबत सहमति आवश्यक है। उक्त वाद में इस प्रक्रिया एवं प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार छीपाबडौद से प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तलब की गई थी जो अपीलांट की गैर मौजूदगी में कब्जे व मौके की स्थिति के विपरीत तैयार की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट पर वादी अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही राजस्थान टीनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यु रूल्स 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही अंतिम निर्णय व डिक्री प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलांट ने जरिये अभिभाषक आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 सी पी सी के अन्तर्गत दिनांक 18.07.2011 को एक प्रार्थना पत्र गैर कानूनी रूप से पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये बिना ही दिनांक 02.07.2012 को पत्रावली मे अंकित निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। दिनांक 05. 12.2011 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया वास्तविकता यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2012 को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णीत किया जा चुका है एवं तदनुसार संशोधित डिक्री पारित की जा चुकी है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई औचित्य नहीं था।

12 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की आदेशिका भी समय पर नियमित रूप से नहीं लिखी गई। आदेशिका में कई जगह काट छांट (ओवर राइटिंग) तथा आदेशिका में अंकित विवरण को ही काट रखा है। दिनांक 18.07.2011 को आगामी पेशी दिनांक 29.08.2011 नियत की गई थी। दिनांक 29.08.2011 से दिनांक 09.02.2012 तक कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। ऐसी प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पोशिदा तरीके से किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु खिलाफ कानून की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद क्रमांक 69/2009 एवं 79/2009 को कन्सोलिडेट कर एक ही निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री जैर अपील निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि प्रकरण में शहादत फरीकेन लेकर वाद समाअत बहस वाद का गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय पारित करें ।

13 अपील सं. 2012/00074 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री स्पीकिंग जजमेंट की तारीफ में नहीं आने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट आने पर वादी अपीलांट को प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री के विपरीत अंतिम निर्णय एवं डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार छीपाबडोद को प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तैयार करने के लिये कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार छीपाबडोद ने स्वयं ने मौका नहीं देखा एवं प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है जो एक तरफा, त्रुटिपूर्ण एवं मनमानी रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। उक्त रिपोर्ट अनाधिकृत एवं असम्बन्धित व्यक्ति (पटवारी) द्वारा तैयार की गई है जिसे कानूनन निर्णय एवं डिक्री जैर अपील का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित फरमाया जावे कि प्रकरण में शहादत फरीकेन लेकर बाद समाअत बहस वाद का गुणावगुण पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

14 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.02.2012 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

15 दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

16 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(1) पेज 77, आर.बी.जे. (24) 2017 पेज 299 न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

17 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

18 बहस अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई, प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संदर्भ में एक वाद बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा कैम्प छीपाबड़ोद में प्रस्तुत किया गया, जिसमे उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2011 को तनकीयात कायम कर शामिल पत्रावली की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.06.2011 के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर वकील वादी एवं प्रतिवादी को नोटेड कराया वास्ते साक्ष्य वादी प्रकरण आगामी दिनाक 18.07.2011 को पेश हो अर्थात् पत्रावली साक्ष्य वादी मे नियत थी। आगामी तारीख 18.07.2011 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली की आदेशिका पर जैरकार दावा नम्बर 79/2009 धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नन्दा बनाम मदन एवं जैरकार दावा नम्बर 69/2009 धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मदनलाल बनाम नंदा दोनों प्रकरणों में उभयनिष्ठ आराजी एवं उभयनिष्ठ उनवान होने से दोनों प्रकरणों का आपसी सहमति से निर्णय कराना चाहते हैं। यह अंकित करते हुए दिनांक 18.07.2011 को प्राथमिक डिक्री पारित की। तत्पश्चात् दिनांक 09.02.2012 को प्राथमिक डिक्री में संशोधन करते हुए पुनः संशोधित प्राथमिक डिक्री पारित की। पक्षकारान की आपसी सहमति दर्शाते हुए पारित की गई।

उक्त प्राथमिक डिक्री के क्रम में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट एवं वादी अपीलांट के अभिभाषक द्वारा आपसी सहमति से निर्णय कराने बाबत न तो कोई सहमति दी गई थी और न ही इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में कोई लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। पक्षकारान के मध्य ना तो कोई राजीनामा हुआ था और ना ही कोई राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आपसी सहमति बाबत कोई प्रमाण भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की आपसी सहमति गलत रूप से अंकित कर सर्वथा गैरकानूनी रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से वादी अपीलांट का यह कथन की उनके द्वारा आपसी सहमति या राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया सही सिद्ध होना पाया गया, क्योंकि पत्रावली पर उभयपक्ष के आपसी सहमति के क्रम में कोई हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अंकित नहीं है, ना ही पत्रावली में कोई लिखित सहमति या राजीनामा प्रस्तुत होना पाया गया। वैधानिक रूप से आपसी सहमति के संदर्भ में सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी पत्रावली पर दर्ज होना एवं उनकी पहचान होना आवश्यक है। साथ ही लिखित सहमति या राजीनामा प्रस्तुत होने पर उसे भी न्यायालय के समक्ष तस्दीक करवाने के पश्चात् ही राजीनामे के आधार पर निर्णय या डिक्री पारित की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.07.2011 व संशोधित डिक्री दिनांक 09.02.2012 पारित करते समय उपरोक्त वर्णित वैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री निरस्त की जाती है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में जो तनकीयात कायम की गई है उनके क्रम में पक्षकारों की साक्ष्य लेकर तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करें।

19 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 03.05.2012 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2012/00074 के क्रम में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनने व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 03.05.2012 पटवारी हरनावदाशाहजी द्वारा दिनांक 05.04.2012 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित की गई है। इस विभाजन प्रस्ताव को तहसीलदार, छीपाबडोद द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.04.2012 से उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद को मात्र प्रेषित किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित नहीं होना पाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत महत्वपूर्ण प्रावधान अंकित है। उन प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर, उभयपक्षकारों को पूर्व में सूचना देकर, उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए थे। इस प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किये गये हैं, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अवहेलना करके तैयार किये गये हैं। अतः इन बंटवारा प्रस्तावों के आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 03.05.2012 विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

20 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2012/00075 एवं 2012/00074 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.07.2011 में संशोधन करते हुए पुनः पारित संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.02.2012 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 03.05.2012 अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सुनकर तनकीवार विस्तृत निर्णय, साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर पारित करते हुए विधि सम्मत प्राथमिक डिक्री पारित करें। तत्पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर पुनः विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद में दिनांक 14.12.2023 को उपस्थित होवे।

21 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा